

		<p>appointment thereto on a regular basis in the level 5 (Rs 29200-92300) in the pay matrix or equivalent, in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>Note 1.- The period of deputation including period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>
--	--	---

(11)	(12)
Not applicable	<p>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation), consisting of:-</p> <p>1. Director, National Sugar Institute Kanpur. - Chairperson</p> <p>2. . Assistant Professor or an officer of equivalent Rank, National Sugar Institute, Kanpur. -Member</p> <p>3. Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur. -Member</p>

(13)
Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F.No. A-12018/3/2018-SA]
RAJIV MAHENDRU, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2019

सा.का.नि. 243.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, ईख अधिकारी और कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (रासायनिक इंजीनियरी) भर्ती नियम, 2005 को, जहां तक उनका संबंध ईख अधिकारी के पद से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में ईख अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर (ईख अधिकारी) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य शैक्षिक अर्हताएं आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—कोई व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यवृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
ईख अधिकारी	01*(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 10 (रुपए 56,100 – 1,77,500)

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु सीमा और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है
(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा अर्ध सरकारी अथवा स्वायत्त शासी अथवा कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी:	लागू नहीं होता

(क) (i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धरण किए हुए हैं;

(ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47,600 रुपए – 1,51,100 रुपए) अथवा समकक्ष स्तर में मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो; और

(iii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44,900 रुपए – 1,42,400 रुपए) अथवा समकक्ष स्तर में मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हों, अर्थात:-

आवश्यक:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कृषि में डिग्री;

(ii) गन्ने की खेती और विपणन में पर्यवेक्षकीय क्षमता से तीन वर्ष का अनुभव।

वांछनीय:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कृषि में स्नातकोत्तर डिग्री;

(ii) गन्ना विपणन सहकारी समितियों में गन्ने की खरीद का अनुभव।

टिप्पण 1: केवल केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी आमेदन आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र होंगे।

टिप्पण 2: केन्द्रीय सरकार के समान या किसी अन्य संगठन या विभाग में नियुक्ति से पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि समान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

वे परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-12018/2/2005-एसए]

राजीव महेन्द्र, उप सचिव

New Delhi, the 26th July, 2019

G.S.R. 243.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Sugar Institute, Kanpur, Cane Officer and Junior Technical Officer (Chemical Engineering) Recruitment Rules, 2005, in so far as they relate to the post of Cane Officer, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Cane Officer in the National Sugar Institute, Kanpur under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, the Department of Food and Public Distribution, namely :--

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the National Sugar Institute, Kanpur (Cane Officer) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Cane Officer	01* (2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial	Level 10 (Rs.56,100 - 1,77,500)

Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(5)	(6)	(7)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Deputation including short term contract

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition
(11)	(12)
Deputation (including short-term contract): Officers under the Central or State Governments or Union Territories or University or recognised research Institution or autonomous or semi-Government or statutory organizations:- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department,	Not applicable

(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and

(iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 7 (Rs.44900-142400), in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience namely:-

Essential:

- (i) Degree in Agriculture from a recognized University or institute;
- (ii) three years' experience in a supervisory capacity in cane cultivation and marketing.

Desirable:

- (i) Postgraduate degree in Agriculture from a recognized University or institute;
- (i) experience in Cane procurement from cane marketing societies.

Note 1: Only officers of the Central Government or State Governments or Union Territories shall be eligible for consideration for appointment on absorption basis.

Note 2: The Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

(13)

Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

[F.No. A-12018/2/2005-SA]

RAJIV MAHENDRU, Dy. Secy.

(भंडारण और अनुसंधान खंड)

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2019

सा.का.नि. 244.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (समूह 'क' और समूह 'ख' अननुसचिव पद) भर्ती नियम, 2013 को, जहां तक उनका संबंध तकनीकी अधिकारी (भंडारण और अनुसंधान) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में तकनीकी अधिकारी (भंडारण और अनुसंधान) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--